विभाग के उत्तरदायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (2), (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा जो मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम बनाए गए हैं, उनको कंडिका 2 के अध्याय 7 में राजस्व विभाग के विषयों का उल्लेख किया गया, जो निम्नानुसार है-

1. भूमि में या उस पर अधिकार भू-धृति जिसके अन्तर्गत कृषि भूमि के बारे में भू-स्वामी और किसानों का सम्बन्ध है तथा भाटक (लगान) का संग्रहण ।
2. कृषि भूमि का हस्तांतरण अन्य संक्रामण और न्यागन ।
3. भूमि सुधार और कृषि सम्बन्धी उधार ।
4. उपनिवेशन जिसमें भूमिहीन व्यक्तियों को बसाना भी सम्मिलित है ।
5. सूची एक (संघ सूची) का परिशिष्ट-34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिपाल्य अधिकरण।
6. भारग्रस्त और कुर्क सम्पदाएं ।
7. राज्य में बाहर पैदा हुए कर विषयक दावों तथा अन्य सार्वजनिक अभियाचनाओं की बसूली ।
8. स्थानीय उपकरों तथा भू-राजस्व के रूप में बसूल की जा सकने वाली अन्य रकमों का संग्रहण ।
9. ग्राम वन तथा अन्य वन, जो वन विभाग प्रबंधन के अधीन नहीं ।
10. कृषि श्रमिकों की बेरोजगारी या अपूर्ण रोजगारी ।
11. दुर्भिक्ष या अकाल सहायता और कृषि ऋणता का निवारण जिसमें दीर्घकालिक दुर्भिक्ष सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम या सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं ।
12. अग्नि, बाढ़, भूकम्प आदि के कारण सहायता उपायों का निष्पादन ।
13. भू-अर्जन, गृह निर्माण विभाग तथा पर्यावरण विभाग को सौंपी गई सम्पत्ति को छोड़कर अन्य समपत्ति अधिग्रहण ।
14. साहूकारी और साहूकार, जिसमें साहूकारों का पंजीयन सम्मिलित है ।
15. कृषि आय पर कर ।
16. कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के विषय में कर ।
17. कृषि भूमि के विषय में सम्पत्ति शुल्क ।
18. संभागों , जिलों और तहसीलों का परिसीमन ।
19. मध्यप्रदेश में भूमि सुधार, इसमें मध्यस्थों की सम्पत्ति शामिल है ।
20. मध्यप्रदेश में कृषि जोत उच्चतम सीमा ।
21. मध्यप्रदेश में कृष्येत्तर धृत क्षेत्र पर उच्चतम सीमा ।
22. मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को पटेलों के कर्तव्य सौंपना ।

23. भूतपूर्व राजाओं द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न नगद अनुदान,इसमें धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को सौंपे गए अनुदान शामिल नहीं हैं ।
24. मध्यप्रदेश में निस्तार का प्रशासन ।
25. भू-राजस्व का निर्धारण औरअन्य संक्रामण ।
26. अधिकार अभिलेख ।
27. राजस्व प्रयोजनों के लिए भू-परिमाप तथा अन्य भू-परिमाप ।
28. बंदोबस्त ।
29. भू-कर सर्वेक्षण ।
30. माफी भूमि पुनर्ग्रहीत करने के बदले नगद अनुदान ।
31. ग्राम प्रशासन पत्र वाज़ब-उल-अर्ज तथा निस्तार पत्रक ।
32. श्मशान और कब्रिस्तान के लिए भूमि का आरक्षण ।
33. भारतीय भू-परिमाप ।
34. त्रिकोणमितीय भू-परिमापन केन्द्र ।
35. खातों की चकबंदी योजनाएं ।
36. व्यपवर्तन तथा व्यपवर्तित भूमियों का कर निर्धारण और मानक दरें ।
37. भू-परिमाप और बंदोबस्त के अधिकारियों का प्रशिक्षण ।
38. निम्नलिखित योजनाओं के बजट से सम्बन्धित सभी विषय, पदों का निर्माण, पदों का चालू रखना, पदोन्नतियां, स्थानान्तरण आदि-
    (क) कृषि सम्बन्धी गणना (एग्रीकल्चरल सेन्सस) ।
    (ख) फसल कटाई तथा भूमि सांख्यिकी के लिए सूचना सामग्री ।
    (ग) प्रमुख फसलों के क्षेत्र और उपज अनुमान के लिए सूचना-सामग्री ।
    (घ) सिंचाई सांख्यिकी में सुधार ।
39. मजमूली नक्शों का अनुरक्षण ।
40. अधिकार अभिलेख तथा "ऋण पुस्तिका" का अनुरक्षण और उसे अद्यतन करना ।
41. फसल और ऋतु सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रतिवेदन और उनका प्रकाशन ।
42. हल्काबंदी योजनाएं ।
43. लेखन सामग्री जिसमें फार्म सम्मिलित हैं ।
44. शासकीय मुद्रणालय ।
45. प्रायवेय मुद्रणालयों में मुद्रण ।
46. सीमा विवाद ।
47. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिसका विभाग से सम्बन्ध हो, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ- नियुक्तियां,

पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन छुट्टी, निवृत्ति-वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्ड अभ्यावेदन ।